Witness Service
Helping people in court

Going to court

Information for witnesses and victims going to magistrates' court or the Crown Court

अदालत जाना

मजिस्ट्रेट्स कोर्ट या क्राउन कोर्ट जाने वाले गवाहों और अपराध के शिकार लोगों के लिए जानकारी

क्या आप कोर्ट जा रहे हैं?

गवाह बनकर या अपराध का शिकार बनने पर कोर्ट यानी अदालत जाना चिंता से भरा अनुभव हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप वहाँ पहली बार जा रहे हों और जानते न हों कि वहाँ क्या होने की उम्मीद करनी चाहिए।

कोर्ट की काररवाई चकरा देने वाली लग सकती है। यह पत्रक आपको ऐसी जानकारी और सहारा प्राप्त करने के बारे में बताता है जो आपको गवाही देने के तजुर्बे से गुज़रने में मदद देंगे।

विटनेस सर्विस

विटनेस सर्विस (Witness Service) गवाहों, उनके परिवारों और दोस्तों को अदालत की सुनवाई के पहले, उसके दौरान और उसके बाद मदद देती है।

उसे विक्टिम सपोर्ट चलाती है जो अपराध के शिकार लोगों को मदद देने वाली एक नैशनल चैरिटी यानी राष्ट्रीय परोपकारी संस्था है।

इंग्लैंड और वेल्ज़ के हर क्राउन कोर्ट सेंटर और मजिस्ट्रेट की अदालत में विटनेस सर्विस की सेवा उपलब्ध है।

यह सेवा मुफ़्त है और गोपनीय रूप से प्रदान होती है।

ट्रेंड वालंटीयर्स यानी प्रशिक्षित स्वयंसेवक, भावनात्मक और प्रैक्टिकल यानी सचमुच काम आने वाला सहारा और अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं।

आम तौर पर, विटनेस सर्विस अदालत की सुनवाई के पहले ही आपसे संपर्क करके अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करेगी।

विटनेस सर्विस इनकी मदद करती है

- जिन लोगों को गवाही देने को बुलाया जाता है, जिसमें प्रतिवादी पक्ष के गवाह भी शामिल हैं
- अपराध के शिकार हुए लोग और उनके परिवार के सदस्य और मित्र जो किसी वजह से अदालत में हाज़िर हो रहे हों
- बच्चे और वयस्क दोनों ही।

अगर आप अदालत में उपस्थित होने वाले हैं, तो आपको निम्नलिखित को अपने साथ ले जाना उपयोगी लग सकता है

- कोई दोस्त या रिश्तेदार – आपको कोर्ट में अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है (अगर आपको सेंट्रल कोर्ट, जिसे ओल्ड बेली कहते हैं, जाना है, तो आपको पहले ही वहाँ एक नोटिस भेज देनी होगी कि आप अपने साथ किसी को ला रहे हैं)

Witness Service
Helping people in court

- अपने मामले की कोई भी जानकारी (जैसे कि अगर आपको मालूम हो, तो आपके मामले से जुड़े पुलिस अफ़्सर का नाम)
- कोर्ट आने के लिए कोई पत्र मिला था, तो वह पत्र
- पढ़ने के लिए कोई सामग्री - इसलिए हो सकता है अपने मामले के लिए बुलाए जाने के लिए आपको काफ़ी समय तक इंतेज़ार करना पड़े
- कार पार्किंग या खाने-पीने की चीज़ें ख़रीदने के ख़र्चे अदा करने के लिए कुछ पैसे।

पैसे क्लेम करना

गवाही देने के लिए बुलाए जाने पर, आप सुनवाई के बाद, अपने ख़र्चे चुकाने के लिए पैसे वसूल कर सकते हैं। इन ख़र्चों में शामिल होंगे कोर्ट आने का ख़र्च, ज़रूरी चाइल्ड कैअर यानी बच्चे की देखभाल का ख़र्चा, या आपकी आमदनी को होने वाली हानि की भरपाई। ख़र्चों के लिए क्लेम करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए विटनेस सर्विस से संपर्क कीजिए।

हमारी वचनबद्धता

विक्टिम सपोर्ट समुदाय के सभी लोगों को सेवा प्रदान करती है और वचनबद्ध है कि अल्पसंख्यक और वंचित समूहों का उनकी संस्था में स्वागत हो और ऐसे लोगों को उनकी पूरी संस्था में शामिल किया जाए।

विक्टिम सपोर्ट अपराध के शिकार लोगों से उपलब्ध सेवाओं के बारे में टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करती है। अगर कोई भूल हुई है, तो हमारी एक औपचारिक शिकायत की कार्यप्रणाली भी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्टिम सपोर्ट की अपनी लोकल शाखा / विटनेस सर्विस या नैशनल ऑफ़िस से संपर्क कीजिए।

अधिक सूचना

संभव है आपको होम ऑफ़िस द्वारा प्रकाशित पत्रक *विटनेस इन कोर्ट (Witness in Court)* उपयोगी लगे। अगर अपको अपनी लोकल पुलिस से सलाह देते हुए कोई पत्र मिला है कि आपको अदालत में उपस्थित होना चाहिए, तो उसके साथ इस पत्रक को भी आपको भेजना चाहिए।

विटनेस सर्विस प्रदान कर सकती है

- किसी से गोपनीयता से बात करने की सुविधा
- गवाही देने जाने के पहले, कोर्ट सेंटर जाना और किसी कोर्टरूम (अदालत के कक्ष) में घूमकर देखना
- अदालत की कार्यप्रणाली की जानकारी
- सुनवाई के पहले और उसके दौरान आपके लिए प्रतीक्षा करने की कोई शांत जगह
- अगर आपको गवाही देने जाना हो, तो आपके साथ कोर्टरूम जाने के लिए किसी का इंतेज़ाम
- प्रैक्टिकल मदद, जैसे कि ख़र्चों के फ़ॉर्म भरने में सहायता देना
- आपके मामले से जुड़े ख़ास सवालों का जवाब देने के लिए आपका उचित लोगों से संपर्क करवाना (विटनेस सर्विस गवाही के विषय में विचार-विमर्श या क़ानूनी सलाह नहीं दे सकती)
- मामला समाप्त हो जाने के बाद उसपर बातचीत करना और अधिक मदद और जानकारी पाने में मदद देना।

अगर आप गवाह के रूप में या अपराध के शिकार हुए व्यक्ति की तरह कोर्ट जा रहे हैं, तो इस हालत से गुज़रने में विटनेस सर्विस आपको मुफ़्त और गोपनीय सहारा दे सकती है।

विटनेस सर्विस से संपर्क कीजिए

Witness Service

Helping people in court

Victim Supportline

0845 30 30 900

विक्टिम सपोर्टलाइन आपको अपनी लोकल विटनेस सर्विस से भी संपर्क करा सकती है।

विक्टिम सपोर्ट द्वारा प्रकाशित

अध्यक्षा एच आर एच द प्रिंसेस रॉयल

Victim Support National Office, Cranmer House,
39 Brixton Road, London, SW9 6DZ
टेलिफ़ोन : 020 7735 9166 फ़ैक्स : 020 7582 5712
वैबसाइट : www.victimsupport.org

चैरिटी रजिस्ट्रेशन : 298028 कम्पनी नंबर : 2158780
वैबसाइट इंग्लैंड में लिमिटेड बाई गारंटी के रूप में पंजीकृत
वैबसाइट रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता ऊपर दिया हुआ है

अप्रैल 2002